न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
84 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	25.08.2025	05.12.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक राज0। निवासी साकेत कॉलोनी वार्ड नं0 16 देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804 मोबाईल नं0 8107707565

2–श्री दिलीप सिंह प्रोपरायटर मैसर्स बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स एफ–280 कुबेर इण्डस्ट्रीयल एरिया एक्सटेंशन रीको इण्डस्ट्रीज एरिया राणपुर कोटा राज0। निवासी 1 रघुनाथ जी का चौक, खाण्ड बावडी कोटा राज0। पिनकोड–324001 मोबाईल नं0 9680066682, 9928311188

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 05/12/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2025 को समय 02:12 पी.एम. पर मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ दूध व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, तेल, मसाले, गुड, शक्कर, कन्फैक्शनरी खाद्य पदार्थ अलग–अलग ब्राण्ड के आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान में कागज के कार्टून में 10 नग मूल पैक प्रत्येक 449–449 ग्राम के **घी ग्वाल कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड (Ghee Gwal Krishna Agmark Special Grade)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की शंका होने पर श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में कागज के एक कार्टून में 10 नग मूल पैक प्रत्येक 449–449 ग्राम मूल पैक **घी ग्वाल कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड (Ghee Gwal Krishna Agmark Special Grade)** में से 449–449 ग्राम के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी ग्वाल कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड (Ghee Gwal Krishna Agmark Special Grade)** 449–449 ग्राम चार नग कुल मात्रा 1796 ग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 449ग्राम) को ज्यों का त्यों खाकी कागाज से लपेटकर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4239 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4239 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स एफ–280 कुबेर इण्डस्ट्रीयल एरिया एक्सटेंशन रीको इण्डस्ट्रीज एरिया राणपुर कोटा राज0 का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

AdL
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/333 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/316/एक्ट/2025/445 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी ग्वाल कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड (Ghee Gwal Krishna Agmark Special Grade)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार असुरक्षित (Unsafe) स्तर का होना पाया गया।

विक्रेता ने उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्व धारा 46(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं नमूना निदेशक रैफरल फूड मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संर्टिफिकेट नं0 एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए./512एफ/2025 दिनांक 04.07.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी ग्वाल कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड (Ghee Gwal Krishna Agmark Special Grade)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी ग्वाल कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड** (Ghee Gwal Krishna Agmark Special Grade) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी ग्वाल कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड** (Ghee Gwal Krishna Agmark Special Grade) का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/12/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक